भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1189

उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

सीबीएसई से संबद्ध शक्षकों को उपदान संदाय अ धनियम के अनुसार उपदान

†1189. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क

(क) त मलनाडुमें सीबीएसई से संबद्ध ऐसे निजी स्कूलों की संख्या कतनी है, जो 2009 में संशो धत उपदान संदाय अ धनियम, 1972 के अनुसार अपने शक्षकों को, 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू कया गया, अभी भी उपदान का भुगतान नहीं कर रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन निजी सीबीएसई स्कूलों द्वारा उपदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लए क्या कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने संशो धत उपदान संदाय अ धनियम का अनुपालन नहीं कया है?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शक्षा सं वधान की समवर्ती सूची का एक वषय है। केन्द्र सरकार के स्वा मत्व/ वत्तपो षत स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल संबं धत राज्य सरकारों के क्षेत्रा धकार में आते हैं। इस लए, यह मामला संबं धत राज्य सरकार के वनियामक दायरे में आता है और इस प्रकार इन्हीं प्रा धकरणों द्वारा इसे लागू कया जाना होता है।

इसके अतिरिक्त, सेवा नियमों के संबंध में केंद्रीय माध्य मक शक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबद्धता उपनियम - 2018 में निम्न ल खत प्रावधान निर्धारित कए गए हैं:

खंड **5.3** में बताया गया है क स्कूल उपयुक्त सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों की तर्ज पर शक्षण और गैर- शक्षण कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों को परिभा षत करेगा, जिसमें अंशदायी भ वष्य नि ध-पेंशन योजना **(5.3.11)** के संबंध में अच्छी तरह से प्रले खत प्रावधान शा मल हैं।

खंड **5.2.2** में बताया गया है क " शक्षण और गैर- शक्षण कर्मचारियों को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान और भत्तों पर नियुक्त कया जाना चाहिए।

बोर्ड के सभी संबद्ध स्कूलों के लए यह अनिवार्य है क वे आवश्यक संशोधन वद् ध बोर्डके संबद्धता उप-नियमों का पालन करें।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1189
ANSWERED ON 08.12.2025

Payment of Gratuity Act to CBSE Affiliated Teachers

1189. Shri S Venkatesan:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the number of CBSE affiliated private schools which are still not paying Gratuity to their teachers in accordance with The Payment of Gratuity Act, 1972 as amended in 2009 with retrospective effect from 03.04.1997, in the State of Tamil Nadu; and

(b) the steps taken by the Government to ensure payment of gratuity by the private CBSE schools which have not complied with the amended gratuity act?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(SHRI JAYANT CHAUDHARY)

(a) & (b): Education is a subject in the Concurrent List of the Constitution. Schools, other than those owned/ funded by the Central Government, are under the jurisdiction of the respective State Governments. Therefore, this matter falls under the regulatory ambit of the respective state government and as such, to be enforced by these authorities.

Further, following provision has been laid down in Central Board of Secondary Education (CBSE) Affiliation Bye Laws-2018 with regard to Service rules:

Clause 5.3 stipulates that the school shall define the service rules of teaching & non-teaching staff on the lines of the service rules of the employees of Appropriate Government including well documented provisions in respect of the Contributory Provident Fund - Pension Scheme (5.3.11).

Clause 5.2.2 stipulates that “Teaching & non-teaching staff should be appointed on pay scales and allowances prescribed by the Appropriate Government.”

It is mandatory for all the Board’s affiliated schools to follow the Affiliation Bye-laws of the Board *mutatis mutandis.*

***